



Balmer Lawrie & Co. Ltd.

(A Government of India Enterprise)

CIN: L15492WB1924GOI004835

Regd. Off: 21 N.S.Road, Kolkata - 700 001

Ph: (033) 2222-5322 Fax: (033) 2248-3768;

e-mail: sen.k@balmerlawrie.com, website: www.balmerlawrie.com



NOTICE

TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO DEMAT ACCOUNT OF THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

This Notice is given pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from 7th September, 2016 and as amended on 28th February, 2017 ("the Rules").

The Act and the said Rules, inter-alia, provide for transfer of all shares in respect of which dividends has not been paid or claimed for 7(seven) consecutive years or more to the Demat Account of the IEPF Authority. In the cases where the period of seven years as referred, has been completed during the period from 7th September 2016 to 31st May 2017, the due date of transfer shall be 31st May 2017.

Please note the unpaid/unclaimed dividend for the financial year 2008-2009 (base year) has been transferred to IEPF on 3rd December, 2016 upon completion of seven (7) years in terms of sub-section (5) of Section 124 of the Act.

Accordingly, individual communication has been sent to all the concerned shareholders, whose shares(s) is/are due to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority at their address available with Balmer Lawrie & Co. Ltd. (the Company). The Company has also uploaded on its website www.balmerlawrie.com names and other prescribed details of such shareholders.

In case the concerned shareholder desires to hold back his/her holding of shares of the Company from being transferred to the IEPF Authority, he/she is requested to encash his/her unclaimed dividend within 31st May, 2017 by following the procedure mentioned hereinbelow :-

- a) Claim unpaid/unclaimed dividend for the Financial Year 2009-10 and onwards by making an application to and sending the self-attested copy/photocopy of the following documents to our above address-:
 - i. PAN card as ID Proof.
 - ii. Aadhar Card / Passport / Utility Bill (not more than 3 months old) as Address Proof.
- b) Detail of Bank Account together with an unsigned cancelled cheque leaf of the bank where all future dividends, if any may be credited directly.
- c) Please also attach the photocopy of the share certificate (both sides) and also quote Folio no. as provided above in all the documents /communication in case the holding is in Physical mode or send relevant client master list in case the holding is in Demat mode.

Kindly note that the aforesaid procedure is only applicable for shareholders themselves claiming the shares and not the claims made by the legal heir and other claimants or cases of transmission etc. for which the procedure should be followed as per the Act and the Rules.

In case the shareholder holds the shares in physical form please note that as per the provisions of IEPF Rules, the Company is required to issue duplicate share certificate(s) for the purpose of transfer to the IEPF Authority and upon issue of such duplicate share certificate(s) the original share certificate(s) which is registered in his/her name will be automatically cancelled and deemed non-negotiable.

Further, please note that in terms of Section 124(6) of the Act and Rule 7 of the IEPF Rules, once the shares are transferred to the IEPF Authority, the claimant may claim the said shares by making an online application in Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs for re-claiming the shares, which is available on the website at www.iepf.gov.in.

With a view to comply with the requirements as set out in the aforesaid Rules, the Company shall initiate necessary action for transfer of the shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority.

The prescribed details of the concerned shareholders is available on the website of the Company - www.balmerlawrie.com.

Please note, the Company is required to issue duplicate share certificates for the purpose of transfer of the shares to the said DEMAT Account as per the Rules and upon issue of such duplicate share certificate(s), the original share certificate(s), which stand registered in the name of the concerned shareholder would stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Thereupon, no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to the said DEMAT Account of IEPF Authority pursuant to the said Rules.

As a measure of Investor Education, you are requested to download Notification of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India being no. G.S.R. 178(E) dated 28.02.2017 published in the Gazette of India dated 28.02.2017 publishing Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017 for further details on the captioned subject. In case you need any other information/clarification, please contact Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. Link Intime India Pvt Ltd., Unit: Balmer Lawrie & Co. Ltd., 59-C, Chowringhee Road, Kolkata-700 020, Ph:(033) 2289-0539/40, e-mail: kolkata@linkintime.co.in, website: www.linkintime.co.in

For BALMER LAWRIE & CO. LTD.

Date: 19th April, 2017

Place: Kolkata

Kavita Bhavsar
Company Secretary

B/Standard - Kolkata

20-4-17

विजनेम स्टैड्स



वामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

(भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान)



CIN: L15492WB1924GOI004835

पंजीकृत कार्यालय: 21, एन. एस. रोड, कोलकाता-700 001

दूरभाष: (033) 2222-5322 फैक्स: (033) 2248-3788

ई-मेल: sen.k@balmerlawrie.com, वेबसाइट: www.balmerlawrie.com

सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का इनवेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) अथॉरिटी के डिमेंट खाते में हस्तांतरण

कॉरपोरेट विषयक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 7 सितम्बर, 2017 से प्रभावी एवं 28 फरवरी, 2017 को संशोधित इनवेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (लेखा, लेखा परीक्षण तथा प्रतिदाय) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार यह सूचना दी जाती है। अधिनियम एवं उक्त नियम, अन्य विषयों के साथ, का प्रावधान लगातार 7 (सात) अथवा अधिक वर्षों के लिए अमुक्त अथवा दावा रहित लाभांश वाले सभी शेयरों के आईईपीएफ अथॉरिटी के डिमेंट खाते में हस्तांतरण के लिए है। ऊपर उल्लिखित सात वर्षों की अवधि के 7 सितम्बर, 2016 से 31 मई, 2017 तक की अवधि के दौरान परिपूर्ण होने वाले मामलों में हस्तांतरण की नियत तिथि 31 मई, 2017 होगी।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (5) के मद्देनजर सात (7) वर्षों के पूर्ण होने के कारण वित्त वर्ष 2008-2009 (मूल वर्ष) के लिए अमुक्त/दावा रहित लाभांश को 3 दिसम्बर, 2016 को आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

फलस्वरूप, वामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (कंपनी) के पास उपलब्ध उनके पते पर संबंधित उन सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से इसकी सूचना भेज दी गई है, जिनके शेयर आईईपीएफ अथॉरिटी के डिमेंट खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। कंपनी द्वारा वेबसाइट www.balmerlawrie.com पर इन शेयरधारकों के नाम एवं अन्य निर्धारित विवरण भी अपलोड कर दिया गया है।

संबंधित शेयरधारक कंपनी के धारित शेयरों को आईईपीएफ अथॉरिटी में हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों को अगर बरकरार रखना चाहते हैं, तो उनसे यहाँ नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन कर 31 मई, 2017 के अंदर अपने दावा रहित लाभांश को भुगतान का अनुरोध किया जाता है -

क) एक आवेदन के साथ हमारे ऊपररोक्त पते पर नीचे उल्लिखित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रति/छाया प्रति भेज कर वित्त वर्ष 2009-10 तथा उसके उपरोक्त के लिए अमुक्त/दावारहित लाभांश का दावा करें -

i. आईडी के साक्ष्य के रूप में पैन कार्ड।

ii. पता के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड/पासपोर्ट/उपादेयता विल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं)।

ख) भविष्य में जिस बैंक में सभी लाभांशों, यदि कोई हों, सीधे जमा किया जाएगा उस बैंक का एक अहस्ताक्षरित रद्द किया हुआ चेक के साथ बैंक खाता का विवरण।

ग) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रहने पर कृपया शेयर प्रमाणपत्रों (दोनों ओर) की छाया प्रतिलिपि संलग्न करें तथा सभी दस्तावेज/संचार में ऊपर प्रदत्त फोटियों नं. का भी उल्लेख करें अथवा डिमेंट प्रारूप में शेयर धारण रहने पर संबंध क्लाइंट मॉस्टर लिस्ट भेजें।

कृपया ध्यान दें कि ऊपररोक्त उल्लिखित प्रक्रिया सिर्फ शेयरों का दावा करने वाले स्वयं शेयरधारकों के लिए लागू है तथा उनके संवैधानिक उत्तराधिकारी तथा अन्य दावेदारों द्वारा किए गए दावे अथवा हस्तांतरण इत्यादि के मामले में लागू नहीं है, जिसके लिए अधिनियम एवं नियम के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

शेयरधारक अगर भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखते हैं, तो कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ अथॉरिटी के पास हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी को झुलीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना होगा तथा संबंधित झुलीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रद्द एवं अपरक्राम्य माना जाएगा।

इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 124(6) तथा आईईपीएफ नियम के नियम 7 के मद्देनजर, शेयरों के एक बार आईईपीएफ अथॉरिटी के पक्ष में हस्तांतरित हो जाने पर, दावेदार शेयरों के पुन दावे के लिए कॉरपोरेट विषयक मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित शेयरों का दावा कर सकते हैं, जो वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

ऊपर उल्लिखित नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के मद्देनजर, कंपनी आईईपीएफ अथॉरिटी के डिमेंट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्यवाई प्रारम्भ करेगी।

संबंधित शेयरधारकों का निर्धारित विवरण कंपनी की वेबसाइट - www.balmerlawrie.com पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें, नियम के अनुसार संबंधित डिमेंट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए कंपनी को झुलीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना होगा तथा संबंधित झुलीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रद्द एवं अपरक्राम्य माना जाएगा। उसके बाद, उक्त नियम के अनुसार आईईपीएफ अथॉरिटी के संबंधित डिमेंट खाते में शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई भी दावा नहीं होगा।

इनवेस्टर एजुकेशन के मापदंड के अनुसार, आपसे शीर्षकित विषय पर और अधिक विवरण के लिए इनवेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (लेखा, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण एवं धन वापसी) संशोधन नियम, 2017 प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र दिनांकित 28.02.2017 में प्रकाशित कॉरपोरेट विषयक मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.178 (ई) दिनांक 28.02.2017 डाउनलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

अन्य किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ने पर कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., युनिट: वामर लॉरी एण्ड कं. लि., 59-सी, चौरंगी रोड, कोलकाता-700 020, दूरभाष: (033) 2289-0539/40, ई-मेल: kolkata@linkintime.co.in, वेबसाइट www.linkintime.co.in पर सम्पर्क करें।

कृते वामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

कविता भावसार

कंपनी सचिव

दिनांक : 19 अप्रैल, 2017

स्थान : कोलकाता

विजनेम स्टैड्स - 21-4-17

शेयरध
प्रजावा
वर्षों त
कार्पोरे
अंतरण
2013
अन्य
अदावा
आईईए
दिनांक
अनुस
अदावा
के डी
www.
<http://>
संबंधित
डीमेंट
शेयर प्र
किए ज
माना ज
अन्तर
की निर्
संबंधित
लाभांश
प्राप्त न
डीमेंट
यह भी
की धार
www.
सकता
प्रधिकर
किसी द
अंतरण
संविमो रं
080-2
स्थान:
दिनांक:

আজকের তারিখ ২০/৮/২০১৭



বামার লরী অ্যান্ড কোং লিঃ

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

CIN: L15492WB1924GOI004835

রেজিঃ অফিস: ২১ এন এস রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন (033) 2222-5322, ফ্যাক্স: (033) 2248-3768

ই-মেল: Sen.k@balmerlawrie.com. website: www.balmerlawrie.com



Feel the Joy of Giving

নোটিস

দি ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আই ই পি এফ)
অর্থরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার স্থানান্তর

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক বিজ্ঞাপিত, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে বলবৎ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে সংশোধিত মতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অর্থরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ ('দি রুলস') সহযোগে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন ২০১৩ ('আইন')-এর ১২৪ ধারার বিধান অনুযায়ী এই নোটিস জারি করা হচ্ছে।

আই ই পি এফ অর্থরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে পরপর ৭ (সাত) বছর বা তার বেশি সময় যাবত যে সকল শেয়ারের প্রেক্ষিতে লভ্যাংশ প্রদত্ত হয়নি বা দাবি করা হয়নি সেই সমস্ত শেয়ার স্থানান্তরের বিধান অন্যান্য বিধিবিধানের মধ্যে উক্ত আইন ও 'দি রুলস' অনুযায়ী দেওয়া আছে। যে সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত সাত বছর সময়সীমা ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে ৩১ মে, ২০১৭-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে শেয়ার স্থানান্তরের নির্ধারিত তারিখ হবে ৩১ মে, ২০১৭।

অনুগ্রহ করে অবগত থাকবেন যে উক্ত আইনের ১২৪ ধারার উপধারা (৫)-এর বিধান অনুযায়ী সাত (৭) বছর সময়সীমা সম্পূর্ণ হওয়ায় ২০০৮-২০০৯ আর্থিক বছর (ডিভিডেন্ড) বাবদ অপ্রদত্ত/দাবিহীন লভ্যাংশগুলি ৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে আই ই পি এফ-তে স্থানান্তরিত হয়েছে।

তদনুযায়ী, যে সকল শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার সমূহ আই ই পি এফ অর্থরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে সেই সকল শেয়ারহোল্ডারকে বামার লরী অ্যান্ড কোং লিঃ (কোম্পানি)-এর কাছে পাওয়া যাওয়া মতো তাঁদের নিজ নিজ ঠিকানায় স্বতন্ত্রভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নাম ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট www.balmerlawrie.com তেও আপলোড করা হয়েছে।

যদি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ (পুং/স্ত্রী) কোম্পানিতে থাকা নিজ নিজ শেয়ার আই ই পি এফ অর্থরিটির অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর না করে ধরে রাখতে চান তাহলে তিনি/তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি মেনে ৩১ মে, ২০১৭ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ দাবি না করা লভ্যাংশ অনুগ্রহ করে ভাঙ্গিয়ে নিন।

(ক) ২০০৯-১০ বার্ষিক বছর এবং তার পরবর্তী সময়ের জন্য অপ্রদত্ত দাবি/দাবিহীন লভ্যাংশ-এর জন্য আবেদন তৎসহ নিম্নলিখিত নথিসমূহের স্বপ্রত্যয়িত কপি/ফোটোকপি আমাদের উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে:

(i) আইডি প্রমাণ হিসেবে প্যান কার্ড
(ii) ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে আধার কার্ড/পাসপোর্ট/ইউটিলিটি বিল (অনধিক ৩ মাসের পুরনো)

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের স্বাক্ষরবিহীন একটি বাতিল চেকসহ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ দাখিল করতে হবে, সেখানে সমস্ত ভবিষ্যৎ লভ্যাংশ সরাসরি জমা করা যেতে পারে।

(গ) হোল্ডিং ফিজিক্যাল মোডে থাকলে সমস্ত নথি/যোগাযোগের জন্য অনুগ্রহ করে শেয়ার সার্টিফিকেট (উভয় দিক)-এর ফোটোকপি সংবলিত করে দিন বা হোল্ডিং ডিম্যাট মোডে থাকলে প্রাসঙ্গিক ক্লায়েন্ট মাস্টার লিষ্ট পাঠান।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, উপরোক্ত পদ্ধতি যে সকল শেয়ারহোল্ডার তাঁদের নিজেদের শেয়ার দাবি করছেন, কেবলমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বৈধ উত্তরাধিকারী এবং অন্যান্য দাবিদার বা প্রেরণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত দাবির জন্য নয়। যার জন্য অ্যাক্ট এবং রুল অনুযায়ী পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। যদি শেয়ার হোল্ডারগণ ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করে থাকেন, অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, আইইপিএফ রুলস এর শর্ত অনুযায়ী আই ই পি এফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে এবং এই ধরনের ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ফলে, তাঁর (স্ত্রী/পুং) নামে নথিভুক্ত অরিজিনাল শেয়ার সার্টিফিকেট (সমূহ) আপনা আপনি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিক্রয়যোগ্য হবে না।

আরও লক্ষ্য রাখবেন, অ্যাক্টের ১২৪ (৬) ধারা এবং আই ই পি এফ রুলসের রুল ৭ অনুযায়ী একবার শেয়ার আই ই পি এফ অর্থরিটির কাছে হস্তান্তরিত হলে ওই শেয়ারের দাবিদার সেই শেয়ার দাবি করতে পারেন ফর্ম আই ই পি এফ-৫ মারফত অনলাইনে আবেদন করে যা শেয়ার পুনর্দাবির জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত এবং যেটি পাওয়া যাবে www.iept.gov.in ওয়েবসাইটে।

উপরোক্ত রুলস মারফক সাযুজ্য রেখে কোম্পানি আই ই পি এফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে শেয়ার হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের বিশদ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.balmerlawrie.com-এ। মনে রাখবেন, রুলস অনুযায়ী উক্ত ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরের জন্য কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে এবং এই ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নামে রেজিস্ট্রিভুক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি বাতিল হয়ে যাবে ও তা অবিনিময়যোগ্য হয়ে যাবে। অতএব, আই ই পি এফ অর্থরিটির ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরিত শেয়ার সাপেক্ষে উক্ত রুলস মারফক কোম্পানির কাছে কোনও দাবি করা যাবে না।

ইনভেস্টর এডুকেশনের ওই বিষয়ক বাড়তি বিশদে জন্য আপনাদের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি যার নং জি এস আর ১৭৮ (ই) তারিখ ২৮.০২.২০১৭, যা ২৮.০২.২০১৭-তে গেজেট অফ ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত তা ভাউনলোড করতে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে রয়েছে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অর্থরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস ২০১৭।

অন্য তথ্য, ব্যাখ্যার জন্য যোগাযোগ করুন কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ইউনিট বামার লরী অ্যান্ড কোং লিঃ, ৫৯সি টোরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০, ফোন: (০৩৩) ২২৮৯-০৫৩৯/৪০, ই-মেল: kolkata@linkintime.co.in ওয়েবসাইট: www.linkintime.co.in

বামার লরী অ্যান্ড কোং লিঃ-র তরফে

তারিখ: ১৯ এপ্রিল, ২০১৭

স্থান: কলকাতা

কবিতা ভাবসার
কোম্পানি সেক্রেটারি